OIC Gov. / Accts
13/2/17

राजस्थान सरकार
नागरिक उड्डयन विभाग

क्रमांकः– प07(16)नाउ / 1996 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 10.02.2017

जिला कलक्टर,
झालावाड़।

विषय :– कोलाना हवाई पट्टी झालावाड़ के विस्तार हेतु बजट आवंटन करने हेतु ।

संदर्भः– आपका पत्र कमांक विकास / 2016 / 4 दिनांक 02.01.2017 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि झालावाड में कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार हेतु संशोधित परियोजना हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

1 राशि रू0 169.11 करोड की हवाई पट्टी की परियोजना लागत की सहमति ।

2 वर्ष 2016–17 हेतु बजट मद 5054–04–337–(16)–[00]–74 में से राशि रू. 39.78 करोड़ के प्रावधान की सहमति ।

3 चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में भूमि अवाप्ति व संबंधित कार्य पूर्ण होने के पश्चात आगामी वित्तीय वर्ष में परियोजना के शेष कार्यों हेतु उपलब्ध संसाधनों के ध्यान में रखते हुए, आवश्यक वित्तीय प्रावधान करने का प्रयास किया जावेगा । जिला कलक्टर, झालावाड़ को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की जाती है ।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–4) विभाग के आई0डी0 सं0 101700094 दिनांक 07.02.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है ।

भवदीय

(इन्द्र सिंह राव)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
2–संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय–4) विभाग ।
3–उप शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग को भेजकर लेख है कि आई.एफ.एम.एस. पर राशि जिला कलक्टर, झालावाड को हस्तान्तरित करवाने का श्रम करावे।
4– अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ ।
5–निदेशक,नागरिक विमानन निदेशालय, जयपुर उनकी पत्रावली मय नोटशीट सहित लौटाई जाती है ।
6–कोषाधिकारी, झालावाड़ ।
7–रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

E:\CIVIAL AVIATION\...CA src.docx 925

No 292 Date 13/2/17

Copy to EE (PWD) Dn Jhalawar to Submit estimate etc